कार्यालय अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड द्वितीय, हनुमानगढ

Phone: 01552-260570
Email:eehmn2.wr@gmail.com.
No. : Acctt NIT/2019-20/
Dated:-

अस्थाई काश्त हेतु निलामी सूचना वर्ष 2019–20

(विस्तृत नोट विभागीय वैवसाईट पर प्रकाशनार्थ)

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस खण्ड़ के अधीन निम्नानुसार सिंचाई कॉलोनियों में उपलब्ध कृषि योग्य राजकीय भूमि निलामी के जरिये वर्ष 2019–20 के लिए अस्थाई काश्त हेतु ठेके पर दी जानी है, जिसके लिए इच्छुक बोलीदाता दिनांक 12.04.2019 को प्रातः 11 बजे इस कार्यालय में निर्धारित धरोहर राशि जमा करवाकर बोली में भाग ले सकते हैं :–

क्र. सं.	सिंचाई कॉलोनी	जल संसाधन उपखंड	अनुमानित क्षेत्र	अनुमानित राशि	धरोहर राशि
1	पीलीबंगा	उपखण्ड पीलीबंगा	7 बीघा	70,000	1400.00
2	करनीसर	उपखण्ड पीलीबंगा	4 बीघा	40,000	800.00
3	सरदारपुरा	उपखण्ड पीलीबंगा	6 बीघा	60,000	1200.00
4	लोंगवाला	उपखण्ड पीलीबंगा	6 बीघा	60,000	1200.00
5	हांसलिया	घग्घर उपखंड हनुमानगढ	6 बीघा	60,000	1200.00
6	मानकसर	घग्घर उपखंड हनुमानगढ	4 बीघा (बारानी)	20,000	400.00
7	गुडिया	खारा उपखंड हनुमानगढ	5 बीघा	50,000	1000.00

शर्ते :–

1. भूमि का मौका व विवरण किसी भी कार्य दिवस में जाकर देखा जा सकता है ।
2. बोली स्वीकृत करने/निरस्त करने का अधिकार निलामी कमेटी/विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। बोली स्वीकृति उपरान्त किसी का एतराज मान्य नहीं होगा ।
3.. दूरभाष/तार द्वारा बोली मान्य नहीं होगी ।
4. उच्चतम बोलीदाता को कुल बोली राशि की 25 प्रतिशत राशि मौके पर ही जमा करवानी होगी तथा शेष राशि 75 प्रतिशत राशि बोली स्वीकृति आदेश जारी होने के 7 दिवस में जमा करवानी होगी, अन्यथा जमा 25 प्रतिशत जमा धरोहर राशि जब्त कर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। सफल बोलीदाता से निलामी के समय प्राप्त की गई धरोहर राशि उसी दिन प्राप्त की जाने वाली 25 प्रतिशत राशि में समायोजित की जायेगी एवं असफल बोलीदाता की धरोहर राशि बोली उपरान्त वापस लौटा दी जावेगी।
5. उच्चतम बोलीदाता को स्वीकृत बोली की 10 प्रतिशत राशि सुरक्षित जमा के रूप में नकद/बैंक गारण्टी/डीडी/बैंकर चैक के रूप में जमा करवानी होगी। सुरक्षित जमा राशि अवधि पूर्ण होने पर नियमानुसार लौटा दी जायेगी।
6. बोलीदाता की लापरवाही के कारण भूमि काश्त के दौरान यदि राजकीय चल/अचल सम्पत्ति को किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो नुकसान की भरपाई सुरक्षित जमा राशि में से की जा सकेगी।
7. भूमि का ठेका दिनांक 16.4.2019 से 15.4.2020 तक की अवधि के लिए मान्य होगा। दिनांक 15.4.2020 के बाद भूमि पर स्वतः ही कब्जा विभाग का माना जायेगा ।
8. अस्थाई काश्त हेतु भूमि का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित व्यक्ति को रुपये 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर विभाग द्वारा निर्धारित शर्तो की पालना का परिवचन देना होगा ।
9. सिंचाई हेतु पानी देने के लिए विभाग बाध्य नहीं होगा ।

E:\Account Section\satyapraksh ji letter dox

Scanned by CamScanner

10. ठेका अवधि के दौरान संबंधित भूमि के कॉलोनी प्रभारी सहायक/कनिष्ठ अभियंता समय–समय पर पर्यवेक्षण कर सकेंगे। उनके द्वारा राजकीय हित में जारी निर्देशों की पालना बोलीदाता को करनी होगी ।

अधिशाषी अभियंता,
जल संसाधन खंड द्वितीय,
हनुमानगढ
दिनांक :– 3.04.19

क्रमांक :– 85-95

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है :–

1. श्रीमान् जिला कलक्टर, हनुमानगढ ।
2. श्रीमान् मुख्य अभियंता, जल संसाधन उत्तर, हनुमानगढ ।
3. श्रीमान् अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन वृत, हनुमानगढ ।
4. तहसीलदार हनुमानगढ/पीलीबंगा/संगरिया/सूरतगढ ।
5. सहायक अभियंता, जल संसाधन घग्घर उपखंड, हनुमानगढ/जल संसाधन खारा उपखंड हनुमानगढ एवं जल संसाधन उपखंड पीलीबंगा ।
6. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत .... ।
7. बी.के. अध्यक्ष,बी.के..................................
8. तकनीकी शाखा/ रोकड लिपिक (कार्यालय हाजा) ।
9. www.sppp.rajasthan.gov.in/ eproc.rajasthan.gov.in
10. नोटिस बोर्ड (कार्यालय हाजा) ।

अधिशाषी अभियंता

Scanned by CamScanner